न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2012 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्री पुनिया पिता हवजी भील निवासी ढोढीया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)
2. श्री सोमजी पिता पुनिया भील निवासी ढोढीया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)
3. श्री सन्तु पिता पूनिया भील निवासी ढोढीया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)
4. श्री नानू पिता नाथू भील निवासी ढोढीया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)
5. श्री कालिया पिता नाथू भील निवासी ढोढीया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)
6. श्रीमती धनूड़ी पत्नी श्री हवजी भील निवासी ढोढीया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)
7. श्री सरदार पिता सन्तु भील निवासी ढोढीया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री पन्नालाल पिता श्री हरजी भील निवासी ढोढीया तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी बागीदौरा दिनांक 29–04–2011 प्रकरण
सांख्या 106/2005 राजस्व वाद

———/———

उपस्थित :–1– श्री शाहबाज खान अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री एम.के. गांधी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

————————————

निर्णय **दिनांक 23–05–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट वादी द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढोढिया में वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित आराजीयात कूल किता–3 रकबा .97 हैक्टर भूमि वादी की खातेदारी व कब्जे में है। जिसमें प्रतिवादीगण बेज़ा दखलन्दाजी करते है। अतएव स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

उपरोक्त वाद का खण्डन का जवाबदावा प्रतिवादी द्वारा पेश करते हुए निवेदन किया कि भूमियां विवादित प्रतिवादी पुनिया के स्वामित्व व आधिपत्य की है। प्रतिवादी पुनिया ने भूमि को बैंक रहन रखा था। वादी एवं प्रतिवादी पुनिया रिस्ते में साडू है। भूमियां को रहन मुक्त करवाने के लिए वादी से 2 खेत सर्वे नंबर 888 हाल सर्वे नंबर 505, 892 हाल नंबर 503 व 504 रह रखी थी तथा प्रतिवादी ने बैंक में प्राप्त रहन राशि रू0 4200/– अदा किये। गिरवीनामे की रजिस्ट्री की आड़ में वादी ने उप–पंजीयक कार्यालय में अप्रार्थी पुनिया को लाकर जमीन हड़पने की नियत से वर्ष 1983 में विक्रय पत्र रचित करा 21 वर्ष बाद वर्ष 2004 में नामान्तरकरण संख्या 40 से राजस्व रेकार्ड में भूमियां अपने नाम दर्ज करवा ली। विक्रय पत्र निरस्ती का वाद सिविल न्यायालय में लम्बित है। कब्जा प्रतिवादी का है। प्रतिवादी द्वारा काउण्टर क्लेम पेश करते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी का 50 वर्षो का कब्जा है। विक्रय पत्र व नामान्तरकरण धोखाधड़ी पूर्वक करवाया गया है। अतएव प्रतिवादी को खातेदार घोषित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय। वादी द्वारा काउण्टर क्लेम का खण्डन का जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी खातेदार है व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रेता है विधिवत विक्रय पत्र का निष्पादन हुआ है। काउण्टर क्लेम पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाय।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की :–

1. *क्या वादी के एक मात्र स्वामित्व व अधिपत्य तथा खातेदारी का खेत सर्वे नंबर 503, 504, 505 कुल खेत 3 रकबा 0.97 एयर लगानी 3.88 स्थित ग्राम ढोढीया तहसील बागीदौरा में होकर वादी ही कृषि कार्य करता आ रहा है तथा वादी का कल्टीवेटरी पजेशन है। जिसमें प्रतिवादिगण का कोई हक नहीं है? .....वादी*
2. *क्या प्रतिवादीगण वादी का शांतिपूर्ण काश्त में हस्तक्षेप करते है? ..... वादी*
3. *क्या वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी पुनिया के स्वामित्व एंव आधिपत्य की थी जिसे प्रतिवादि ने भूमि विकास बैंक बांसवाड़ा से ऋण लेकर बैंक रहन रखा था तथा प्रतिवादी नें वादग्रस्त भूमि को रहन मुक्त कराने के लिए वादी से दो खेत सर्वे नंबर 888 हाल सर्वे नंबर 505 तथा 892 हाल सर्वे नं0 503, 504 रहन (गिरवी) रखा था। तथा उक्त रहन की रकम लेकर प्रतिवादी पुनिया ने बैंक में ऋण अदा किया था। वादी ने गिरवीनामा की रजिस्ट्री की आड़ में विक्रय पत्र करा कर भूमि अपने राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा ली? ..... प्रतिवादी*
4. *दादरसी*

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 29–4–2011 से वादी का वाद डिक्री कर प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 29–4–2011 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–3–2012 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश करते हुए निवेदन किया कि अपील की मयाद 29–6–2011 थी, परन्तु उसके गुजरात में मजदूरी पर चले जाने तथा बाद में रिस्तेदारी में मृत्यु हो जाने के कारण वे समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है।

उपरोक्त मयाद कण्डोन आवेदन पर उपस्थित अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट वादी व अपीलान्ट की बहस सुनी तो यह पाया कि मयाद के 9 माह बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके लिए कोई उचित व

पर्याप्त आधार नहीं दिये गये है, जिससे 9 माह की मयाद को कण्डोन किया जा सके।

अपील अपीलान्ट स्पष्टतया बेरून मयाद होने से ही खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पोन्डेन्ट वादी पंजीकृत विक्रय पत्र से रेकार्डेड खातेदार है तथा उसके विरूद्ध अपीलान्ट व्रिकेता का कब्जा होने के अथवा स्वत्व होने की कोई साक्ष्य नहीं है तथा विक्रय पत्र निरस्ती का वाद लम्बित होना अपीलान्ट स्वयं कहता है। तद्नुसार पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित होने के कारण राजस्व न्यायालय के क्षैत्राधिकार में विक्रय पत्र निरस्तीकरण नहीं होने से काउण्टर क्लेम भी पोषणीय नहीं है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–4–2011 यथावत रखा जाता है।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23–05–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ. .....मुकाम ..... उदयपुर व इजलास ..... एल.एन. मंत्री आर.ए.एस. .....

1– श्री पुनिया पिता हवजी भील
निवासी ढोढीया तहसील
बागीदौदा जिला बांसवाड़ा
अन्य–6

बनाम

1–श्री पन्नालाल पिता श्री हरजी भील
निवासी ढोढीया तहसील बागीदौरा
जिला बांसवाड़ा

अपील नं0 **07/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी** ..... **बागीदौरा** .....मुकाम मुक्र्खे.....**29**.....माह.....**04**.....वर्ष.....**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**23**..... माह .....**05**..... सन् **2018** .....रूबरू .....पक्षकारान व हाजरी .....**श्री शाहबाज खान** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री एम.के. गांधी** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–4–2011 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**23**..... माह .....**05**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।